

आरएफसी
(अनुच्छेद 14 ई.2 (i))
आरएफसी खाता खोलने के लिए आवेदन

सेवा में
प्रबंधक,

कृपया मेरे नाम पर एक आरएफसी खाता खोलें. सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार हैं:

1. आवेदक का नाम और पता :

2. राष्ट्रियता :

3. मूल (उल्लेख करें कि क्या आप :
भारतीय मूल से हैं,)

4. पासपोर्ट विवरण :
पासपोर्ट संख्या :
जारीकर्ता प्राधिकारी :
समाप्ति तारीख :

5. भारत का निवासी बनने के लिए
भारत में आगमन की तारीख :

6. भारत के बाहर निवास के विवरण :

देश		अवधि					
प्रकृति	से		तक				व्यवसाय की

- (पासपोर्ट के संबंधित पृष्ठों की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. क्या भारत के बाहर आपका कोई रोजगार या व्यापार या व्यवसाय है? :
यदि ऐसा है तो कृपया पूर्ण विवरण दें
8. विदेशी मुद्रा जिसमें आरएफसी खाता/खाते खोला जाना है/खोले जाने हैं :
9. अपेक्षित खाते का प्रकार (सावधि, जमा, चालू या बचत खाता, जो भी है उल्लेख करें) :

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैंने आरएफसी खाता योजना के प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है. मैं घोषित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त दर्शाये गये विवरण सही हैं और मैं लागू योजना के अनुसार आरएफसी खाता खोलने एवं संचालित करने के लिये पात्र हूँ. मैं सहमत हूँ कि आरएफसी खाता(ते), आरएफसी खाता योजना एवं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित होगा/होंगे.

(हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

आवेदक के लिए अनुदेश

- I. आवेदक को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व आरएफसी खाता योजना को ध्यान से पढ़ें.
- II. आवेदन पत्र में पूर्ण विवरण नहीं दिए जाने की स्थिति में खाता नहीं खोला जायेगा.
- III. आवेदक द्वारा पूर्णतः भरा व हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म, आवेदक द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित पासपोर्ट की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए. आवेदन के साथ सत्यापन हेतु पासपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिये.
- IV. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधान के अनुसार आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्रस्तुत करना प्रावधान का उल्लंघन करना होगा.

- V. प्राधिकृत डीलर द्वारा पात्रता और आरएफसी खाते में जमा की जाने वाली प्रस्तावित निधि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में पुष्टि करने के लिए, यदि बाद में आवश्यक समझा जाए तो, आवेदक को वांछित अन्य विवरण अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
- VI. आरएफसी खातों में नामांकन सुविधा निवासी रुपया खाते के समान ही उपलब्ध होगी.